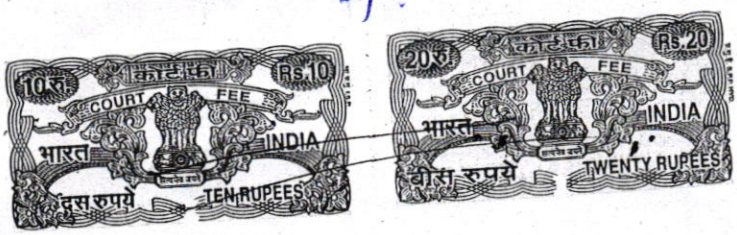

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 पुनर्बिलोकन । रिव्यू 2202-I-16

अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल रजाक आयु 51 साल जाति मुसलमान धन्धा खेती निवासी वार्ड क्रमांक 6 पठान रोड, रतोदन दरवाजा बडौदा तेहसील बडौदा , जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

—— आवेदक ।

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि. 04-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरूद्ध

(1) कैलाशी वाई पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण जाति माली उम्र 59 साल निवासी वार्ड नम्बर 4 खटीक मोहल्ला कस्बा बडौदा तेहसील बडौदा जिला श्यौपुर म0प्र0।

(2) लीलाधर पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण जाति माली उम्र 59 साल निवासी वार्ड नम्बर 4 खटीक मोहल्ला कस्बा बडौदा तेहसीलं बडौदा जिला श्यौपुर म0प्र0।

(3) धनराज पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण जाति माली उम्र 59 साल निवासी वार्ड नम्बर 4 खटीक मोहल्ला कस्बा बडौदा तेहसील बडौदा जिला श्यौपुर म0प्र0।

(4) पटवारी हल्का कस्बा बडौदा व्दारा तेहसीलदार बडौदा जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश।

—— अनावेदकगण।

मुकेश भार्गव
4-7-16 एडवोकेट
ग्वालियर

माननीय न्यायालय व्दारा (निगरानी) प्रकरण क्रमांक 489–एक/2016 कैलाशी वाई एवम् अन्य बिरूद्ध अब्दुल रफीक में पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 के लिये पुनर्बिलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता ।

मान्यवर महोदय ,

आवेदक की और से आवेदन पत्र निम्नलिखित पेश है :——

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण (कैलाशी वाई,लीलाधर ,धनराज,) ने माननीन अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी श्यौपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 74/2013–2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 के बिरूद्ध निगरानी पेश की गई है। जब कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी श्यौपुर व्दारा उपरोक्त अपील प्रकरण क्रमांक 74/2013–2014 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 व्दारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय तेहसीलदार बडौदा व्दारा प्रकरण क्रमांक 02/2013–2014 अ (6) अ में पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 निरस्त किया जा कर आवेदक /अब्दुल रफीक की अपील स्वीकार फरमायी गई थी।

2– यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय व्दारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 प्रथम अपील में पारित किया गया था। प्रथम अपील में पारित आदेश के बिरूद्ध सक्षम न्यायालय में व्दितीय अपील पेश करने का बिधि में प्रावधान है न कि निगरानी करने का पुनर्विलोकन अधिन आदेश माननीय न्यायालय को भ्रमित करकें बिधि के प्रावधानो के बिपरीत पारित पारित हुआ है इसलिये पुनर्विलोकन अधिन आदेश को पुनर्बिलोकन में लिये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

पुर्विलोकन के आधार

1– यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुबिभागीय व्दारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 प्रथम

क्रमशः————————2

-2-

Reg. 2202-5/16 (अप/उ)

5-10-16 निवेदक अधि. श्री मुकेश भार्गव उप०। आवेदक अधि. द्वारा निवेदन किया गया। निवेदक अधि. का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्र० दा० दि० हो